

अध्याय IV: आयकर और धनकर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 अध्याय IV में जून और नवम्बर 2013 के बीच मंत्रालय को जारी ₹ 171.87 करोड़ के कर प्रभाव वाले आयकर से संबंधित 110 उच्च मूल्य वाले मामलों (₹ 158.06 करोड़ के अधिक प्रभार वाले 103 मामलों और ₹ 13.81 करोड़ के अधिक प्रभार³² वाले सात मामलों) की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.88 करोड़ की सम्पत्ति कर वाली राशि के कम निर्धारण से संबंधित 17 मामलों की चर्चा इस अध्याय में की गई है। तालिका 4.1 बड़ी गलतियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाती है:

तालिका सं. 4.1: गलतियाँ और कर प्रभाव की श्रेणी		(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	38	50.78	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	35	80.06	
ग. चूकों के कारण निर्धारण से बच गई आय, और	47*	29.10	
घ. अधिक कर/ब्याज-अन्य	7	13.81	
कुल	127	173.75	

* ₹ 1.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले सम्पत्ति के कम निर्धारण के 17 मामले।

4.1.2 प्रत्येक बड़ी श्रेणियों के तहत हमने समान प्रकृति की गलतियों को दर्शाने के लिए उप-श्रेणियाँ इंगित की हैं। प्रत्येक उप श्रेणियाँ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण द्वारा शुरू होती हैं।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओ ने निर्धारणों में गलतियाँ की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं जिसके सुधार किये जाने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 गलतियों की उप श्रेणियाँ दर्शाती है जिसने निर्धारण की गुणवत्ता पर प्रभाव डाला।

32 अधिक प्रभार सही आँकड़े लेने में चूक, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, कर /ब्याज की गलत दर लगाना और पूँजीगत आय में गलत गणना है।

2014 की प्रतिवेदन सं. 10 (प्रत्यक्ष कर)

तालिका 4.2: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणी	मामले	टीई	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	3	0.59	गुजरात, हरियाणा और पंजाब
ख. कर, अधिप्रभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	4	1.13	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
ग. ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	27	46.08	बिहार, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
घ. अपीलीय आदेशों के लागू करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ	4	2.98	गुजरात और महाराष्ट्र
कुल	38	50.78	

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

अधिनियम दर्शाता है कि एओ द्वारा कर या प्रतिदाय की उचित राशि, जैसा भी मामला हो निर्धारण और निश्चित करने में कुल आय या हानि का उचित निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है।

4.2.2.1 हरियाणा सीआईटी-फरीदाबाद प्रभार में, एओ ने ₹ 66.44 लाख की आय पर नवम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2006-07 के लिए **छाया सिन्हा** की व्यक्तिगत रूप से निर्धारण पूरा किया। हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि एक अंकगणितीय त्रुटि के कारण, ₹ 39.18 लाख के स्थान पर ₹ 12.71 लाख की कर देयता का निर्धारण किया गया था। इस त्रुटि के कारण ₹ 26.47 लाख के आयकर का कम प्रभार हुआ।

4.2.3 कर और अधिप्रभार की दरों को गलत लागू करना

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

अधिप्रभार सहित आयकर अधिनियम में निर्दिष्ट प्रासंगिक दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

4.2.3.1 महाराष्ट्र, एडीआईटी (आईटी) 2(2) मुंबई प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में 10 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत की दर कर पर उद्ग्रहित अधिप्रभार की संवीक्षा के बाद एओ 2007-08 के लिए **विर्जिनिया रिटायरमेंट सिस्टम** का निर्धारण पूरा किया। इस त्रुटि के कारण ब्याज सहित ₹ 40.32 लाख की कम मांग की गई। *आईटीडी ने धारा 154 (जून 2011) के अंतर्गत त्रुटि को स्वीकार किया और सुधार किया।*

4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ

हमने कुछ निदर्शी मामले नीचे दर्शाये हैं:

धारा 234ए(1) के अंतर्गत व्याख्या 3 के अनुसार, जहां आय की रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण धारा 147 या धारा 153ए के अंतर्गत पहली बार किया गया है, तो निर्धारण नियमित निर्धारण के रूप में माना जाएगा, निर्धारिती रिटर्न फाइलिंग हेतु निर्धारित तिथि के तुरंत बाद की तिथि और धारा 144 के अंतर्गत निर्धारण के पूरा करने की तिथि पर समाप्त होनेपर आरंभ अवधि में समाविष्ट प्रत्येक महीने या महीने के किसी भाग के लिए विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है।

4.2.4.1 मध्य प्रदेश सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2003-04 से 2008-09 के लिए **चिरौंजी लाल शिवहरे** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 153ए के अंतर्गत जारी नोटिस में उल्लिखित तिथि के प्रति पांच महीनों की देरी से आयकर रिटर्न फाइल की और नि.व. 2005-06 में अग्रिम कर की अदायगी में चूक की। इसके साथ-साथ नि.व. 2008-09 में विभाग ने भी कर की गणना के लिए गलत आँकड़े स्वीकार किये। इन सभी त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 21.54 करोड़ के कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने सभी निर्धारण वर्षों के लिए धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि सुधार ली (जनवरी 2012)।*

4.2.4.2 दिल्ली, सीआईटी केंद्रीय ॥ प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2011 में 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2005-06 से 2009-10 के लिए **मनोज कुमार** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 153ए के अंतर जारी किये गये नोटिस में उल्लिखित तिथि के प्रति साढ़े चार महीने की देरी से अपना आयकर रिटर्न फाइल किया परंतु विभाग ने रिटर्न फाइलिंग में विलंब के लिए

धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के कारण ₹6.06 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर 2012)।*

4.2.4.3 पंजाब, सीआईटी मोहली प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 के लिए **द डिफेंस सर्विसेज़ कॉर्पोरेटिव हाऊसिंग सोसाइटी** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने 30 सितम्बर 2008 की निर्धारित तिथि के प्रति 30 मार्च 2009 को अपनी आयकर रिटर्न फाइल की; जबकि आईटीडी ने रिटर्न की फाइलिंग में विलम्ब हेतु धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज उद्ग्रहित नहीं किया। इस त्रुटि के कारण ₹ 3.64 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (जून 2011)।*

4.2.5 अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए निर्धारण में त्रुटियाँ

हमने दो निदर्शी मामले नीचे दर्शाये हैं:

अधिनियम दर्शाता है कि कोई असंतुष्ट निर्धारिती निर्धारण अधिकारी, जो अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करेगा, के आदेश के विरुद्ध आयकर (अपील)/आईटीएटी/उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त को अपील कर सकता है।

4.2.5.1 महाराष्ट्र, सीआईटी औरंगाबाद प्रभार में, एओ ने मार्च 2006 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत नि.व. 1999-2000 के लिए **मै. भाऊराव चवाण सहकारी सकर कारखाना लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। आईटीडी ने आईटीएटी के स्वीकृति आदेश को लागू करते समय केन डेवलेपमेंट व्यय और वसंतदादा सुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई) कांट्रीब्यूशन के प्रति अधिक मूल्यहास और दोहरी कटौती की। इस त्रुटि के कारण ₹ 56.03 लाख के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (अगस्त 2012)।*

4.2.5.2 गुजरात, सीआईटी केंद्रीय-1 प्रभार में, एओ ने ₹ 18.23 करोड़ की राशि पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2006-07 हेतु **श्रेयान्स एस शाह** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने सामान्य दरों पर कर लगाये जाने के लिए व्यापारिक आय के रूप में समझी जाने वाली आय हेतु ₹ 17.02 करोड़ के कमअवधि पूँजीगत लाभ (एसटीसीजी) के निर्धारण के प्रति एक अपील फाइल की और सीआईटी (ए) ने अपने आदेश (अक्टूबर 2009) में

निर्णय लिया कि एसटीसीजी के रूप में ₹ 16.77 करोड़ और शेष ₹ 24.96 लाख को बिजनेस आय के रूप में कर लगाया जा सकता है। हालांकि, सीआईटी आदेश को लागू करते समय, ₹ 257.02 लाख कर के स्थान पर केवल ₹ 201.81 लाख का कर प्रभारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 55.21 लाख के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर 2011)।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए और अपने प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल आय गणना में निर्धारिती को रियायतों/छूटों/कटौतियाँ प्रदान करता है। हमने देखा कि निर्धारण अधिकारी ने लाभार्थी जो इसके पात्र नहीं थे; को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ अनियमित रूप से प्रदान किये। ये मामले आईटीडी की तरफ से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के संचालन में दोष को दर्शाते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तालिका 4.3 उप-श्रेणियाँ दर्शाती है जिन्होंने रियायतों/छूटों/कटौतियों के संचालन को प्रभावित किया।

तालिका 4.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के संचालन के अंतर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दिये गये अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत	1	0.52	तमिलनाडू
ख. ट्रस्ट/फर्म/सोसाइटी/एओपी को दिये गये अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत	3	1.96	कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब
ग. बिजनेस व्यय की गलत अनुमति	13	17.48	असम, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु
घ. मूल्यहास/बिजनेस हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितताएं	18	60.10	बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
कुल	35	80.06	

4.3.2 ट्रस्ट/फर्म/सोसाईटी/एओपी को अनियमित छूटें/कटौतियाँ/रियायतें

हमने एक निदर्शी मामला नीचे दर्शाया है:

धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को सही आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। सीबीडीटी ने इस संबंध में समय-समय पर निर्देश भी जारी किये हैं।

4.3.2.1 महाराष्ट्र, सीआई-। पुणे प्रभार में, एओ ने ₹ 25.73 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2005-06 हेतु **जनता सहकारी बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया और उक्त को ही दिसम्बर 2010 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत ₹ 6.63 करोड़ की हानि पर संशोधित किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने पी/एल खाते में “सुरक्षाओं के बिक्री पर हानि के निवेश पर मूल्य हास” के संबंध में ₹ 5.15 करोड़ डेबिट किये और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश पारित करते समय उक्त व्यय पुनः स्वीकृत किये। इस त्रुटि के कारण ₹ 1.58 करोड़ के संभावित कर प्रभाव के समान एक राशि द्वारा आय का कम निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि स्वीकार की और उसमें सुधार किया (मार्च 2012)।

4.3.3 बिजनेस व्यय की गलत स्वीकृति

हमने तीन निदर्शी मामले नीचे दर्शाये हैं:

अधिनियम की धारा 36(1)(viii) दर्शाती है कि किसी अनुसूचित बैंक या गैर-अनुसूचित बैंक या कोओपरेटिव बैंक (प्राथमिक कृषि कोपरेटिव सोसाईटी/कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा किये गये अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी प्रावधान के संबंध में, कुल आय का साठे सात प्रतिशत से अधिक की राशि और ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं³³ द्वारा दिये गये औसत अग्रिमों के औसत के दस प्रतिशत से कम राशि कटौती के रूप में स्वीकृत की जाएगी।

4.3.3.1 तमिलनाडु, सीआईटी-। सलेम प्रभार में, एओ ने क्रमशः दिसम्बर 2009 और दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2007-08 और नि.व. 2008-09 हेतु **सलेम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को. बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। नि.व. 2007-08 और नि.व. 2008-09 के लिए एओ ने “देय ब्याज हेतु सुरक्षित” के लिए धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत ₹ 5.68 करोड़ की कटौती स्वीकृत की और नि.व. 2008-09 हेतु अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए लेखों में किये गये प्रावधान की सीमा तक सीमित नहीं किया। “देय

33 ग्रामीण शाखा का अर्थ अनुसूचित बैंक की ऐसी शाखा से है जो ऐसे स्थान पर स्थित है जहां की जनसंख्या विगत पूर्ववर्ती जनगणना, जिसके प्रासंगिक आकड़े विगत वर्ष के प्रथम दिन से पहले प्रकाशित हुए हैं, के अनुसार 10 हजार से अधिक नहीं हैं।

ब्याज हेतु सुरक्षित'' की अयोग्य राशि सहित कटौती की अधिक स्वीकृति और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए बनाये गये प्रावधानों के अनुसार सीमित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.56 करोड़³⁴ के कर प्रभाव सहित ₹ 16.44 करोड़³⁵ का कम निर्धारण किया गया।

4.3.3.2 तमिलनाडु में, सीआईटी-॥ मद्रुरै प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2012 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 हेतु **तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों और अन्य प्रावधानों के प्रावधान हेतु ₹ 8.17 करोड़ की राशि धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत कटौती स्वीकृत की। चूँकि निर्धारिती के पास कोई ग्रामीण शाखा नहीं थी, इसलिए उक्त बताई गई धारा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र नहीं था और कुल आय का केवल 7.5 प्रतिशत अर्थात् ₹ 0.39 करोड़ कटौती के रूप में स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 4.72 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया और ₹ 2.64 करोड़³⁶ कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 3.07 करोड़ की अधिक हानि को आगे ले जाया गया।

4.3.3.3 कर्नाटक, सीआईटी-हुबली प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2008-09 हेतु **द कर्नाटक सेंट्रल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और 2001 की जनगणना के अनुसार दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर स्थित तीन शाखाओं द्वारा दिये गये अग्रिमों के संबंध में कटौती स्वीकृत की गई थी। इस त्रुटि के कारण ब्याज के साथ ₹ 58.16 लाख कर कम उद्ग्रहण सहित ₹ 1.39 करोड़ की अधिक कटौती स्वीकृत की गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 148 के अंतर्गत प्रारंभिक उपचारात्मक कार्रवाई की।*

4.3.4 मूल्यहास/बिजनेस हानियों/पूँजीगत हानियों की अनुमति में अनियमितता

हम नीचे ऐसे दो निदर्शी मामले दे रहे हैं:

धारा 72 आगामी आठ निर्धारण वर्षों के लाभों और प्राप्तियों के प्रति किसी निर्धारण वर्ष की निवल हानि को आगे ले जाने और सेट-ऑफ करना दर्शाती है।

4.3.4.1 बिहार, सीआईटी-। भागलपुर प्रभार में, एओ ने ₹ 27.28 करोड़ के आगे लाई गई हानियों के छोड़ने के बाद शून्य आय पर दिसम्बर 2010 में

34 नि. व. 2007-08 के लिए ₹ 5.69 करोड़ और नि.व. 2008-09 हेतु ₹ 10.75 करोड़

35 नि. व. 2007-08 के लिए ₹ 1.91 करोड़ और नि.व. 2008-09 हेतु ₹ 3.65 करोड़

36 सकारात्मक कर प्रभाव ₹ 1.60 करोड़ और संभावित कर प्रभाव ₹ 1.04 करोड़

संवीक्षा के बाद नि. व. 2008-09 हेतु कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.व. 2007-08 से नि.व. 2008-09 में लाने वाली कोई हानियाँ नहीं थी। इस गलती के कारण ब्याज सहित ₹ 10.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 27.28 करोड़ की हानियों की अनियमित रूप से छोड़ दिया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (जुलाई 2012)।*

4.3.4.2 गुजरात, सीआईटी-बड़ौदा प्रभार में, एओ ने ₹ 13.89 लाख की आय पर नवम्बर 2008 में नि.व. 2006-07 हेतु **पैट्रोफिल्स कॉ-ऑपरेटिव लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। एओ ने नि.व. 1997-98 और पूर्व वर्षों अर्थात् आठ वर्षों की अनुमत अवधि के बाद से संबंधित ₹ 65.90 करोड़ की बिजनेस हानि को आगे ले जाना गलत रूप से स्वीकृत किया। इस गलती के परिणामस्वरूप इस सीमा तक बिजनेस हानि के आगे ले जाने की स्वीकृति दी जिसके कारण ₹ 22.18 करोड़ के संभावित कर प्रभाव का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के अंतर्गत नवम्बर 2011 में त्रुटि में सुधार किया।*

4.3.4.3 केरल, सीआईटी-त्रिवेंद्रम प्रभार में, एओ ने नि.व. 2007-08 और 2008-09 से संबंधित ₹ 16.29 करोड़ के आगे ले गए नुकसान को सेटिंग ऑफ करने के पश्चात् ₹ 9.23 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 हेतु **केरल स्टेट कॉ-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा के अनुसार नि.व. 2009-10 हेतु केवल ₹ 63.51 लाख की कुल हानि छोड़े जाने हेतु उपलब्ध थी और इसलिए ₹ 6.43 करोड़ कर प्रभाव सहित ₹ 15.65 करोड़ की हानियों को सेट आफ किया गया था।

4.4 चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय

4.4.1 अधिनियम दर्शाता है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थीं, जिसके कारण वो कर से छूट गईं। तालिका 4.4 उन उप-श्रेणियों को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गईं।

तालिका 4.4: चूकों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय के अंतर्गत त्रुटियों (₹ करोड़ में) की उप-श्रेणियाँ			
उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य
क. पूँजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण और गणना	7	7.62	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
ख. आय की गलत गणना	19	18.31	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	4	1.29	दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
घ. धनकर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण करना	17	1.88	आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
कुल	47	29.10	

4.4.2 पूँजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण

हम नीचे दो निदर्शी मामले दे रहे हैं:

धारा 4 दर्शाती है कि सभी आयकर और कुल आय की गणना के प्रभार के उद्देश्य हेतु; विनिर्दिष्ट आय के शीर्षों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध होंगी।

4.4.2.1 महाराष्ट्र, सीआईटी-अंतर्राष्ट्रीय कराधान मुंबई प्रभार में, एओ ने ₹ 65.75 लाख की आय पर सितम्बर 2009 में नि.व. 2007-08 हेतु **ओपनहेमर डेवलेपिंग मार्केट्स फंड** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने लघु अवधि पूँजीगत हानि को सट्टे बाजी हानि के रूप में लिया और उक्त सट्टे बाजी लाभों के स्थान पर लघु अवधि पूँजीगत लाभ के प्रति समायोजित किया। सट्टे बाजी हानि के रूप में हानि को लेने की चूक और उक्त को ही पूँजीगत लाभ के प्रति सेट आफ की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 52.05 लाख के कर के कम उद्ग्रहण के साथ पूँजीगत लाभ का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (फरवरी 2011)।*

अधिनियम की धारा 2(14)(iii) के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत, पूँजीगत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त कोई लाभ और प्राप्ति पूँजीगत लाभों के अंतर्गत आयकर के लिए आदेय होगी।

4.4.2.2 तमिलनाडु, सीआईटी चेन्नै प्रभार में, एओ ने ₹ 13.13 लाख की आय पर दिसम्बर 2011 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2009-10 हेतु अर्जुन

पार्थसारथी का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने अन्य के साथ-साथ 27.23 एकड़ भूमि बेची और ₹ 22.91 करोड़ का संचित दीर्घावधि एवं लघु अवधि पूँजीगत लाभ कमाया और तत्पश्चात इसे कृषि भूमि के रूप में दिखाकर छूट का दावा किया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2008 में संयुक्त निदेशक, टाऊन और कंट्री प्लानिंग, चेन्नै द्वारा जारी आदेशों के अनुसार गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग का परिवर्तन अनुमोदित था। अतः उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण पर पूँजीगत लाभ कर से निर्धारिती द्वारा छूट कृषि से गैर-कृषि भूमि के वर्गीकरण में एक परिवर्तन है, के दावे का उद्देश्य निरस्त किया जाना और इसी प्रकार कर उद्ग्रहित किया जाना अपेक्षित था। इस चूक के कारण लघु और दीर्घावधि पूँजीगत लाभ से छूट मिलने के कारण ₹ 5.86 करोड़ का कर उद्ग्रहण नहीं किया जा सका। *आईटीडी ने धारा 263 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2013)।*

4.4.3 आय की गलत गणना

हम नीचे ऐसे तीन निदर्शी मामले दे रहे हैं:

धारा 143(3) दर्शाती है कि एओ को सही ढंग से आय निश्चित और निर्धारित करनी होती है। लेखे, रिकार्ड और रिटर्न के साथ सभी दस्तावेजों के साथ दावों की विभिन्न श्रेणियों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत जाँच करनी आवश्यक है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं।

4.4.3.1 दिल्ली, सीआईटी-। केंद्रीय प्रभार में, एओ ने दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2004-05 से 2006-07 हेतु **देवीदास गर्ग** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर की अनुचित रूप से गणना की गई है और इन वर्षों के दौरान कृषि आय को लागू दरों में निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (दिसम्बर 2012)।*

4.4.3.2 महाराष्ट्र, डीसीआईटी अहमदनगर प्रभार में, एओ ने जून 2009 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2007-08 के लिए **गणेश सहकारी सकर कारखाना लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया। एओ ने निर्धारिती द्वारा फाइल की गई संशोधित रिटर्न और बाद में ₹ 45.77 लाख और जोड़ने के बाद ₹ 10.11 करोड़ आय के स्थान पर ₹ 4.80 करोड़ की निवल हानि स्वीकार की, आय ₹ 10.56 करोड़ के लाभ के स्थान पर ₹ 4.34 करोड़ की हानि तक पहुँच गई थी। इस त्रुटि के कारण ₹ 4.56 करोड़ का कम उद्ग्रहण किया गया।

आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर 2010)।

4.4.3.3 महाराष्ट्र, सीआईटी-XII प्रभार में, एओ ने ₹ 5.75 करोड़ के 'बिजनेस से आय' शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति ₹ 4.59 करोड़ की लघु अवधि पूँजीगत हानि का सेट आफ स्वीकृत करके ₹ 1.17 करोड़ की आय पर नवम्बर 2008 में नि.व. 2006-07 हेतु **मै. एलएंडटी हॉचटिफ सीबर्ड ज्वाइंट वेंचर** का निर्धारण पूरा किया। इस त्रुटि के कारण ₹ 1.86 करोड़ कर के कम उद्ग्रहण सहित ₹ 4.59 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने धारा 263 के अंतर्गत उपचारात्मक कार्रवाई की (दिसम्बर 2011)।*

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में चूकें

धारा 40(ए)(आईए) दर्शाती है कि जहां टीडीएस में कटौती नहीं की गई है वहां भुगतानों के प्रति व्यय में कटौती अनुमत नहीं होगी।

4.4.4.1 दिल्ली, सीआईटी-IX प्रभार में, एओ ने नि.व. 2006-07 हेतु **आशीष कोहली** का निर्धारण पूरा करते समय मई 2008 में ₹ 8.85 लाख की आय पर फेबरीकेशन, डाईंग और प्रिंटिंग और कमीशन व्यय, जिस पर भुगतान करते समय कर की कटौती नहीं की गई थी, के लिए निर्धारित द्वारा किये गये ₹ 133.20 लाख राशि वाले व्यय को अस्वीकृत नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप ब्याज सहित ₹ 58.81 लाख के कर प्रभाव के समान राशि की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 144/148 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (मार्च 2013)।*

4.4.5 धनकर का उद्ग्रहण न करना/कम उद्ग्रहण

₹ 1.88 करोड़ कर प्रभाव सहित धनकर के 17 मामले जून 2013 से नवम्बर 2013 के दौरान मंत्रालय को भेजे गये थे। हमने पाया कि एओ ने आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के निर्देशों³⁷ का अनुपालन नहीं किया। एक ऐसा निर्देशी मामला नीचे दर्शाया जा रहा है:

4.4.5.1 आंध्र प्रदेश, सीआईटी-I हैदराबाद प्रभार में, **एम रविंद्र** के अधीन परिसंपत्तियाँ (नकद, कार और शहरी भूमि) थी जो धनकर अधिनियम के अनुसार धनकर के अंतर्गत आती थी परंतु नि.व. 2008-09 और

37 नवम्बर 1973, अप्रैल 1979 और सितम्बर 1984 में एओ को सीबीडीटी के निदेश जारी किये गये।

नि. व. 2009-10 हेतु धनकर की रिटर्न फाइल नहीं की गई। आईटीडी ने भी उपरोक्त हेतु कार्रवाई की पहल नहीं की। इस त्रुटि के कारण ₹ 87.97 लाख के धन-कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और नि.व. 2008-09 हेतु त्रुटि में सुधार किया (जनवरी 2013)।

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने पाया कि चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में ₹ 13.81 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार सहित सात मामलों में आय का अधिक निर्धारण किया गया था। हम नीचे ऐसे दो मामले दे रहे हैं:

4.5.2 मध्य प्रदेश सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने ₹ 2.40 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2008-09 हेतु **नवीन शिवहरे** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि एओ निर्धारित आय पर ₹ 1.12 करोड़ की सही राशि की अपेक्षा ₹ 10.10 करोड़ के निवल कर उद्ग्रहित किये। इस त्रुटि के कारण ₹ 8.98 करोड़ के कर का अधिक प्रभार किया गया। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का सुधार किया (जनवरी 2012)।*

4.5.3 मध्य प्रदेश, सीआईटी ग्वालियर प्रभार में, एओ ने ₹ 81.48 करोड़ आय पर दिसम्बर 2009 में धारा 143(3)/153ए के अंतर्गत नि.व. 2005-06 हेतु द ग्वालियर सीटिजन साख सहकारिता मर्यादित का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि ब्याज सहित कर ₹ 46.93 करोड़ की सही राशि की अपेक्षा ₹ 50.22 करोड़ उद्ग्रहण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.29 करोड़ का अधिक प्रभार किया गया। *आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि का सुधार किया (मई 2011)।*